अध्याय-1

प्रस्तावना

अध्याय-1

1.1 प्रस्तावना

1.1.1 बजट की रूपरेखा

राज्य में 30 विभाग एवं 74 स्वायत्त निकाय है। वर्ष 2011-16 के दौरान राज्य के लेखे में बजट अनुमान तथा संबंधित वास्तविक व्यय को **तालिका 1.1.1** में दर्शाया गया है:

तालिका-1.1.1: 2011-16 के दौरान राज्य सरकार के बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएँ	7866.66	7845.56	8556.05	8696.49	9870.51	9959.36	11617.87	10623.45	13310.58	12002.43
सामाजित सेवाएँ	9524.39	7287.03	11611.28	8308.59	12405.63	8215.34	17383.07	11915.34	18747.53	14843.81
आर्थिक सेवाएँ	6646.17	5858.99	7632.67	6394.79	8158.69	5297.19	10486.84	9256.11	11285.12	9706.59
अनुदान एवं अंशदान	0.55	0.00	0.55	0.00	0.25	0.00	0.15	0.00	0.01	0.00
कुल (1)	**24037.77**	**20991.58**	**27800.55**	**23399.87**	**30435.08**	**23471.89**	**39487.93**	**31794.90**	**43343.24**	**36552.83**
पूँजीगत व्यय										
पूँजीगत व्यय	6352.73	3159.37	6856.83	4218.43	6466.40	4722.50	8224.03	5542.94	8675.58	8158.51
संवितरण ऋण एवं अग्रिम	1328.02	217.10	829.37	600.81	838.40	221.91	699.43	823.78	1215.60	7480.00
लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1403.18	1639.01	1627.05	2183.06	1809.02	1996.92	1976.30	1879.88	2258.53	2245.93
समेकित निधि	**33121.70**	**26007.06**	**37113.80**	**30402.17**	**39548.90**	**30413.22**	**50389.69**	**40041.50**	**55492.95**	**54437.27**
अंतर्राज्यिक भुगतान		75.40		100.00		50.00		0.00	0.00	0.00
आकस्मिक निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लोक लेखा संवितरण	11762.85	9727.77	18519.83	13416.31	13929.71	14094.33	16461.09	19276.68	15190.43	27053.00
अंतिम रोकड़ शेष		116.85		704.75		1285.48		444.21	0.00	1904.72
कुल (2)	**20846.78**	**14935.50**	**27833.08**	**21223.36**	**23043.53**	**22371.14**	**27360.85**	**27967.49**	**27340.14**	**46842.16**
सकल योग (1+2)	**44884.55**	**35927.08**	**55633.63**	**44623.23**	**53478.61**	**45843.03**	**66848.78**	**59762.39**	**70683.38**	**83394.99**

(स्त्रोत: अनुपूरक अनुमान को छोड़कर राज्य बजट के वार्षिक वित्तीय विवरण एवं व्याख्यात्मक ज्ञापन)

*** रोकड़ शेष निवेश एवं विभागीय शेष को छोड़कर**

1.1.2 राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग

कुल बजट ₹ 72,474 करोड़[1] के विरूद्ध 2015-16 में राज्य के समेकित निधि से ₹ 54,437 करोड़ का कुल व्यय[2] हुआ। राज्य का कुल व्यय 2011-12 से 2015-16

---

[1] बजट अनुमान ₹ 55,493 करोड़ एवं अनुपूरक अनुमान ₹ 16,981 करोड़ सम्मिलित।

[2] कुल व्यय में लोक लेखा संवितरण, अन्तर्राज्यिक समायोजन और आकस्मिक निधि सम्मिलित नहीं है।

के दौरान 109 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 26,007 करोड़ से ₹ 54,437 करोड़ तक बढ़ गया और राज्य का राजस्व व्यय 74 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2011-12 में ₹ 20,992 करोड़ से 2015-16 में ₹ 36,553 करोड़ हो गया। वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान गैर योजनागत राजस्व व्यय 56 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 13,346 करोड़ से ₹ 20,760 करोड़ तक बढ़ा एवं पूँजीगत व्यय 158 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 3159 करोड़ से ₹ 8159 करोड़ कर पहुँच गया।

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 67 से 81 प्रतिशत था एवं पूँजीगत व्यय 12 से 16 प्रतिशत था। इस अवधि के दौरान कुल व्यय का चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) 20.28 प्रतिशत था, जबकि राजस्व प्राप्तियाँ चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) 16.03 प्रतिशत से बढ़ी।

1.1.3 सतत बचतें

बारह अनुदानों (11 विभागों) में, पिछले पाँच वर्षों में कुल अनुदानों में से प्रत्येक अनुदान में 10 प्रतिशत या उससे अधिक की सतत बचतें हुईं, जैसा कि **तालिका-1.1.2** में वर्णित है:

तालिका-1.1.2: 2011-16 के दौरान सतत बचतों वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदानों के नाम एवं संख्या	बचत की राशि				
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व दत्तमत						
1	1-कृषि, पशुपालन तथा सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	228.82(35)	264.25(37)	566.53(58)	552.00(58)	750.47(56)
2	2-कृषि, पशुपालन तथा सहकारिता विभाग (पशु पालन प्रभाग)	31.52(23)	35.50(22)	35.53(22)	41.73(25)	37.66(20)
3	17- वाणिज्यिक कर विभाग	11.24 (18)	27.17 (38)	8.18(13)	23.36(32)	18.45(27)
4	18- खाद्य, लोक वितरण तथा उपभोक्ता मामले विभाग	168.00 (15)	307.90 (28)	570.55(50)	439.49(34)	505.63(39)
5	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	277.93(25)	326.13(53)	171.13(15)	967.84(42)	947.27(34)
6	23-उद्योग विभाग	157.41(45)	82.94(29)	120.80(41)	148.57(40)	132.47(31)
7	26-रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	193.07(23)	232.43 (25)	308.12(30)	349.95(28)	1088.29(73)
8	35- योजना सह वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	291.78(58)	594.38 (88)	533.61(83)	99.14(27)	691.14(60)
9	40- राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	79.15(24)	77.17 (23)	125.67(32)	99.80(26)	112.41(26)
10	43- उच्च तथा तकनिकी शिक्षा विभाग (विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रभाग)	40.29(42)	37.03(40)	18.45(25)	21.31(15)	24.90(24)
11	49- जल संसाधन विभाग	83.77(27)	92.55(29)	85.14(26)	87.83(25)	105.11(29)
पूँजी दत्तमत						
12	49- जल संसाधन विभाग	714.70(78)	1232.85(74)	1130.96(68)	1196.28(68)	544.62(33)

(स्रोत: विनियोग लेखे)

कोष्ठक में दिए गए आंकडे पूर्ण अनुदान के विरूद्ध बचत का प्रतिशत बतलाता है।

1.1.4 भारत सरकार द्वारा निर्गत सहायता अनुदान

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान **तालिका-1.1.3** मे दर्शाया गया है:

तालिका-1.1.3: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
गैर योजना अनुदान	1550.77	1483.41	1319.91	1780.26	1685.82
राज्य योजना स्कीम के लिए अनुदान	2404.61	2393.94	1565.83	4914.69	4950.18
केन्द्रीय योजना स्कीम के लिए अनुदान	66.87	30.81	28.28	83.55	50.90
केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम	1235.16	914.05	1150.96	614.16	650.74
कुल	**5257.41**	**4822.21**	**4064.98**	**7392.66**	**7337.64**
पूर्व वर्ष से प्रतिशतता में वृद्धि	28	(-)8	(-)16	82	(-)0.74
राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता	23.45	19.47	15.55	23.42	18.06

1.1.5 लेखापरीक्षा योजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, योजनाओं/परियोजनाओं आदि का उनके क्रियात्मक जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के स्तर, आंतरिक नियंत्रण तथा हिस्सेदारों के प्रति रवैये के आधार पर जोखिम आकलन एवं पिछले लेखापरीक्षा परिणामों के साथ शुरू होती हैं। इस जोखिम आकलन के आधार पर, लेखापरीक्षा की बारम्बारता तथा सीमा तय की जाती है तथा एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा, लेन-देनों के नमूना-जाँच द्वारा सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करते है एवं महत्वपूर्ण लेखा-संबंधी एवं अन्य दस्तावेज/अभिलेख के निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार, रख-रखाव का सत्यापन करते है। लेखापरीक्षा निरीक्षण के दौरान महत्वपूर्ण अनियमितताओं का पता लगने पर यदि कार्य स्थल पर इसे सुलझाया नहीं जाता है तो, ये निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित कार्यालय के प्रमुख को जारी किया जाता है एवं एक प्रतिलिपि उच्चाधिकारियों को इस आग्रह के साथ भेजी जाती है कि इसके जवाब एक महीने के अंदर सौंपे जाये। जवाब प्राप्ति उपरांत, लेखापरीक्षा परिणामों को या तो निपटा दिया जाता है या अनुपालन हेतु आगे की कार्यवाही के लिए परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में दर्शाये गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समावेश हेतु प्रसंस्कृत की जाती है जिसे भारतीय संविधान की धारा 151 के अंतर्गत झारखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है।

वर्ष 2015-16 में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड के कार्यालय द्वारा राज्य के 334 आहरण एवं संवितरण पदाधिकारियों (आ. एवं सं. पदा.) और 17 स्वायत्त निकायों का अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया। साथ ही, छह निष्पादन/अनुपालन लेखापरीक्षा भी किया गया।

1.1.6 निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) के प्रति सरकार की उदासीनता

कार्यालयाध्यक्षों एवं उच्चाधिकारियों को अपने अनुपालन प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को नि.प्र. कि प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर देना होता है। गम्भीर अनियमितताएँ प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड के कार्यालय द्वारा प्रधान सचिव (वित्त) को भेजे जाने वाले लंबित नि.प्र. की एक अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से संबंधित विभागाध्यक्षों के जानकारी में भी लायी जाती है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 21 बैठकें हुई जिसमें 454 नि.प्र. एवं 2364 कंडिकाओं पर चर्चा हुई जिसमें 21 नि.प्र. एवं 494 कंडिकाओं का निपटारा किया गया।

उपरोक्त कार्यपद्धति के बावजूद, 30 सितम्बर 2016[3] तक 4,103 निरीक्षण प्रतिवेदनों में संकलित कुल 23,352 लेखापरीक्षा अवलोकनों के जवाब लम्बित थे जैसा कि **तालिका-1.1.4** में दिये गए हैं:

तालिका-1.1.4: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/कंडिकाये

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिकाएँ	संबद्ध राशि
1.	सामाजिक क्षेत्र	2202	13294	17702.30
2.	सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (गैस सा.क्षे.उ.)	1901	10058	27727.87
कुल		**4103**	**23352**	**45430.17**

मार्च 2016 तक 33 विभागों से संबंधित 1,845 आहरण एवं संवितरण पदाधिकारियों (आ. एवं सं. प.) को जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा से पता चलता है कि सितम्बर 2016 के अंत तक 4,103 नि.प्र. से संबंधित ₹ 45,430.17 करोड़ के वित्तीय प्रभाव की 23,352 कंडिकाएँ लंबित थे। इनकी वर्ष-वार स्थिति का विवरण **परिशिष्ट-1.1.1** एवं अनियमितताओं के प्रकार **परिशिष्ट-1.1.2** में वर्णित है।

नि.प्र. के संकलित अवलोकनों पर विभागीय अधिकारी तय समय में कार्यवाई करने में असफल रहे फलस्वरूप उत्तरदायित्व का ह्रास हुआ। उन्होंने लंबित 4,103 नि.प्र. में संकलित 23,352 कंडिकाओं के विरूद्ध केवल 2,393 निरीक्षण प्रतिवेदनों में संकलित 12,126 कंडिकाओं के संबंध में जवाब समर्पित किया।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार इन मामलों में रूचि ले ताकि लेखापरीक्षा अवलोकनों पर आवश्यक एवं त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित किया जा सके।

[3] 31 मार्च 2016 तक निर्गत एवं 30 सितम्बर 2016 तक लंबित रहे नि.प्र. एवं कंडिकाएँ सम्मिलित है।

1.1.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुकरण

लोक लेखा समिति के आंतरिक कार्यों के लिए प्रतिक्रिया के नियमों के अनुसार प्रशासनिक विभागों द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल सभी कंडिकाओं एवं निष्पादन लेखापरीक्षा पर स्वविवेक से कार्यवाई (व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ) प्रारंभ किया जाना था चाहे इसे लोक लेखा समिति द्वारा संपरीक्षा के लिए लिया गया हो अथवा नहीं। राज्य विधान सभा के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के तीन माह के भीतर लेखापरीक्षा जाँचित विस्तृत टिप्पणियों को सुधारात्मक या प्रस्तावित कार्रवाई को इंगित करते हुए प्रस्तुत की जानी थी।

31 अगस्त 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक की अवधि में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं के संबंध में प्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति **तालिका- 1.1.5** में दर्शायी गयी है।

तालिका-1.1.5: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षा पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों के प्राप्ति की स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के वर्ष	राज्य विधान मंडल में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	कंडिकाओं की कुल संख्या	विभागों से प्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों की संख्या	विभागों से प्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों की संख्या
सिविल/सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक (गैर पी.एस.यू. क्षेत्र)	2008-2009	13.8.2010	26	12	14
	2009-2010	29.8.2011	23	11	12
	2010-2011	06.9.2012	21	18	03
	2011-2012	27.7.2013	39	07	32
	2012-2013	05.8.2014	19	04	15
	2013-2014	27.8.2015	21	03	18
	2014-2015	15.03.2016	18	07	11
कुल			**167**	**62**	**105**

राज्य वित्त	2008-2009	13. 8.2010	12	शून्य	12
	2009-2010	29.8.2011	12	05	07
	2010-2011	06.9.2012	16	शून्य	16
	2011-2012	27.7.2013	13	शून्य	13
	2012-2013	05.8.2014	10	शून्य	10
	2013-2014	26.3.2015	09	शून्य	09
	2014-2015	15.03.2016	09	शून्य	09
कुल			**81**	**05**	**76**

1.1.7.1 लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाई

झारखण्ड विधानसभा, कार्य एवं प्रक्रिया के नियम 315(2) के अंतर्गत स्थाई आदेश संख्या 41(1) के अनुसार लोक लेखा समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं को विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने के छः माह के भीतर विभागों द्वारा लोक लेखा समिति के समक्ष की गई कार्यवाई नोट प्रस्तुत करना था।

यह देखा गया कि लोक लेखा समिति, झारखण्ड ने वर्ष 2008-09 से 2014-15 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए सिविल के 01 उप-कंडिका तथा राज्य वित्त के 01 उप-कंडिका पर अनुशंसा की थी लेकिन उपरोक्त कंडिकाओं एवं उप-कंडिकाओं पर विभाग से कोई कार्यवाई टिप्पणी (ए.टी.एन.) प्राप्त नहीं हुआ।

1.1.8 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सरकार की प्रतिक्रिया

विगत कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने, चयनित विभागों के विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन सहित आंतरिक नियंत्रण के गुणवत्ता में कई अहम कमियों, जो कार्यक्रमों की सफलता एवं विभागों के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, को उजागर किया है। विशेष कार्यक्रमों/योजनाओं का लेखापरीक्षा करना तथा नागरिकों को सेवा प्रदेयता को सुधारने तथा सुधारात्मक कार्रवाई के लिए कार्यपालिका को उपयुक्त अनुशंसाएँ प्रदान करना प्रमुखता थी।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा विनिमय 2007 के प्रावधानों के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/प्रारूप कंडिकाओं पर विभागों को अपना प्रत्युत्तर छः सप्ताह के भीतर भेजना है। यह उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया गया कि झारखण्ड विधानमंडल में प्रस्तुत करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में इस प्रकार के कंडिकाओं को शामिल करने की संभावना के दृष्टिकोण से इन मामलों में उनकी टिप्पणी शामिल करना वांछनीय होगा। उन्हे प्रधान महालेखाकार के साथ निष्पादन /अनुपालन लेखापरीक्षा पर प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार विमर्श के लिए बैठक करने की सलाह भी दी गई।

प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित इन प्रारूप प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं को संबंद्ध प्रधान सचिवों/सचिवों को उनके जवाब के लिए अग्रसारित भी किया गया। वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए संबद्ध प्रशासनिक सचिवों को छः निष्पादन/अनुपालन लेखापरीक्षा और 18 लेखापरीक्षा कंडिकायें अग्रसारित की गयी। निष्पादन/अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित सभी मामले एवं प्रारूप कंडिकाओं के 18 मामलों में से 12 के जवाब प्राप्त हुए है।

1.1.9 राज्य विधानसभा में स्वायत्त निकायों के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण की स्थिति

राज्य सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकायों का गठन किया गया है। इन निकायों में से अधिकतर निकायों के लेन-देनों, परिचालन संबंधि गतिविधियों एवं लेखों, नियामक अनुपालन लेखापरीक्षा, आंतरिक प्रबंधन की समीक्षा, वित्तीय नियंत्रण एवं पद्धति तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा इत्यादि के सत्यापन के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा किया जाता है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि. एवं म.प.) के कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तों (डी.पी.सी.) की धारा 19(2) तथा 19(3) के अनुसार राज्य में तीन स्वायत्त निकायों[4] के लेखाओं की लेखापरीक्षा का काम भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का काम भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। लेखापरीक्षा सौंपने की स्थिति, लेखापरीक्षा हेतु लेखाओं की प्रस्तुती, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निर्गत करने एवं इनका विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण को नीचे दर्शाया गया है:

(i) राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) अधिनियम वर्ष 2002 में अधिनियमित किया गया। नि. एवं म.प. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19 (3) के अंतर्गत रिम्स के लेखाओं की लेखापरीक्षा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा अक्टूबर 2009 में स्वीकार किया गया। यद्यपि सितम्बर 2016 तक लेखापरीक्षा हेतु किसी भी वर्ष के लिये वार्षिक लेखे नहीं जमा किए गए।

(ii) झारखण्ड विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा) के लिए वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 की अवधि के लिए नवंबर 2013 में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस.ए.आर.) निर्गत किया गया था। राजा विधान मंडल में उनके प्रस्तुतीकरण को सूचित नहीं किया गया। वर्ष 2011-12 से 2012-13, 2013-14, 2014-15 के लिए सुपूर्दगी प्राप्त नहीं हुई (सितम्बर 2016) है।

(iii) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि. एवं म. प.) के कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तों (डी.पी.सी.) की धारा 19(2) के अनुसार, झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग के लेखाओं की लेखापरीक्षा का दायित्व भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी.) के लेखाओं की लेखापरीक्षा पूर्ण किया गया है एवं वर्ष 2011-12 तक के एस.ए.आर. निर्गत किया गया है। यद्यपि, 2003-04 से 2011-12 के वर्षों के लिए राज्य विधान मंडल के समक्ष उनके प्रस्तुतीकरण की स्थिति के विषय में सितम्बर 2016 तक सूचित नहीं किया गया है। वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 और 2014-15 के वार्षिक लेखे क्रमशः फरवरी 2016 तथा जून 2016 में प्राप्त हुए हैं।

---

[4] (i) रिम्स, (ii) झालसा और (iii) झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी.)